

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी)

पत्रांक 369295

पटना, दिनांक 15/05/2018

गा0वि09(BRDS)-59/2017

प्रेषक,

सी0 पी0 खण्डूजा,
निदेशक, सामाजिक वानिकी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।


विषय:- स्थानांतरित कर्मियों/ पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि विभागीय स्तर से स्थानांतरित किये गये सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को नव स्थानांतरित जिला में योगदान देने हेतु दिये गये निदेश के बावजूद कतिपय जिलों में अभी भी विरमित नहीं किये गये हैं ।

अतः विभाग स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मियों/ पदाधिकारियों द्वारा जबतक नव स्थानांतरित जिला में योगदान नहीं कर लेते हैं तबतक उनका भुगतान स्थगित रखा जाएगा । तदनुसार नव स्थानांतरित जिला के उप विकास आयुक्त द्वारा कर्मियों के Time Sheet Approval के उपरांत ही वेतन का भुगतान किया जाएगा ।

विश्वासभाजन



(सी0 पी0 खण्डूजा)

निदेशक, सामाजिक वानिकी